न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0) सीकर
पीठासीन अधिकारी :– कविता गोदारा, आर0ए0एस0

वाद पत्र सं :: 91/2025
जीसीएमएस सं0 :: 2025/178

कैलाश चन्द जांगिड़ आयु 62 वर्ष पुत्र स्व0 श्री नारायणराम जांगिड़ जाति जांगिड़ नि0 ग्राम दूजोद तहसील सीकर ग्रामीण, जिला सीकर।

– वादी,

बनाम

1. राजेन्द्र पुत्र स्व0 हरदेवा।
2. जितेन्द्र कुमार पुत्र हरदेवा।
   समस्त जाति जांगिड़ ब्राहम्ण नि0 ए–15/173 हरिओम अपार्टमेंट, नवा वाडेजा अहमदाबाद–13 गुजरात
3. तहसीलदार, दांतारामगढ़, जिला सीकर।

– प्रतिवादीगण

उपस्थित :–. 1. श्री राजेन्द्र कुमार मातवा वकील वादी की ओर से।
2. ,, उमेश जांगिड़, वकील प्रतिवादीगण की ओर से।

दावा बाबत उद्घोषणा, अधिकार व स्थाई निषेधाज्ञा प्रसारणार्थ अं0 धारा 88, 188 राज0 काश्तकारी अधिनियम।

निर्णय दिनांक :: 08.08.25

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है कि कृषि भूमि ख0नं0 823 रकबा 0.8600 है0 वाके ग्राम पलसाना तह0 दांतारामगढ़, सीकर की तन में अवस्थित है। उक्त भूमियों की खातेदारी प्रति0सं0 1 व 2 के पिता हरदेवाराम के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में अंकित चली आ रही है। हरदेवाराम ने अपने जीवनकाल में ही दिनांक 16.05.2007 को उक्त संपूर्ण भूमि वादी को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र विक्रय कर कब्जा संभला दिया था, जो विक्रय पत्र उप पंजीयक, सीकर में दिनांक 16.05.2007 को पंजीबद्ध किया गया। लेकिन राजस्व रिकार्ड में खातेदारी आज भी हरदेवाराम के नाम से दर्ज है, जिसका नाजायज फायदा उठाकर प्रतिवादीगण खातेदारी अपने नाम दर्ज करवाने पर आमादा है इसलिए वादी को उक्त भूमि ख0नं0 823 का खातेदार, काश्तकार उद्घोषित करवाया जावे। प्रतिवादीगण ख0नं0 823 की खातेदारी अपने नाम दर्ज करवाकर वादी को वादग्रस्त भूमियों से बेदखल करने पर आमादा है और उक्त भूमियों को भूमाफिया गिरोह के लोगों को विक्रय करने पर आमादा है जबकि प्रतिवादीगण को ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है क्योंकि उक्त भूमि वादी की खरीदशुद्धा भूमि है और विक्रय पत्र को आज तक प्रतिवादीगण ने कही भी कोई चुनौति नहीं दी गयी है, मौके पर वादी काबिज रहकर काश्त कर रहा है इसलिए प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जाना कानूनन न्यायसंगत व आवश्यक है कि वादी को वादग्रस्त भूमियों से बेदखल नहीं करे, कब्जे काश्त में बाधा नहीं डाले ओर भूमियों की खातेदारी अपने नाम दर्ज करवाने से बाज रहे। वादी ने वाद पेश कर वाद की मद सं0 10 की उप मद क, ख, ग अनुसार वाद डिक्री करने हेतु निवेदन किया है।

सहायक कलक्टर (मु.) सीकर

वाद–पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किये जाने पर प्रति0सं0 1 व 2 जरिये वकील उपस्थित आए तथा ईकबालिया जवाब दावा पेश कर निवेदन किया कि वाद पत्र की मद सं0 10 की उप मद क,ख,ग जिस प्रकार तहरीर है, सही है, स्वीकार है। वादी का वाद स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तो जवाबदाता/प्रतिवादीगण को किसी प्रकार से आपत्ति एतराज नहीं है।

वादी ने वाद के समर्थन में प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबंदी ख0नं0 823 वाके ग्राम पलसाना,तह0 दांतारामगढ़,सीकर की प्रति, प्रमाणित प्रतिलिपि विक्रय पत्र हरदेवा/कैलाशचन्द्र पेश किये। साक्ष्य में वादी ने स्वंय का शपथ–पत्र पेश किया।

बहस वकील वादी सुनी गई। पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। बहस के दौरान वकील वादी द्वारा निवेदन किया गया कि प्रतिवादीगण द्वारा इकबालिया जवाब पेश कर सहमति जाहिर की है कि वादी ने यह जमीन उनके पिता हरदेवाराम से खरीदी थी। परन्तु वादी के नाम खातेदारी दर्ज नहीं हुई। हरदेवाराम की मृत्यु हो चुकी है। वादी के पक्ष में बनाया गया विक्रय पत्र आज तक निरस्त नहीं हुआ है इसलिए वादी का वाद डिक्री किया जाकर वादी को कृषि भूमि ख0नं0 823 रकबा 0.8600 है0 वाके ग्राम पलसाना तह0 दांतारामगढ़, सीकर का खातेदार काश्तकार उद्घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जावे कि वे मौका एंव रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। वकील प्रतिवादीगण द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया कि हमने वाद में जवाब दावा पेश कर दिया है। वादी का वाद स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तो हमें कोई आपत्ति एतराज नहीं है।

पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि विवादित कृषि भूमि ख0नं0 823 रकबा 0.8600 है0 वाके ग्राम पलसाना तह0 दांतारामगढ़, सीकर की खातेदारी प्रति0सं0 1 व 2 के पिता हरदेवाराम के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में अंकित चली आ रही है। हरदेवाराम ने अपने जीवनकाल में ही दिनांक 16.05.2007 को उक्त संपूर्ण भूमि वादी को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र विक्रय कर दी है। जो विक्रय पत्र उप पंजीयक, सीकर में दिनांक 16.05.2007 को पंजीबद्ध किया गया। लेकिन राजस्व रिकार्ड में खातेदारी आज भी हरदेवाराम के नाम से खातेदारी दर्ज है। वकील प्रतिवादी द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तो हमें कोई आपत्ति एतराज नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी डिक्री किया जाकर आराजी कृषि भूमि ख0नं0 823 रकबा 0.8600 है0 वाके ग्राम पलसाना तह0 दांतारामगढ़, सीकर का वादी को विक्रय पत्र दिनांक 16.05.2007 के आधार पर खातेदार, काश्तकार उद्घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि मौका व रिकार्ड की स्थिति में परिवर्तन करने से बाज रहे। तहसीलदार, दांतारामगढ़,सीकर को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करावे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैशल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद तकमील कागजात दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 08.08.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(कविता गोदारा)
सहायक कलक्टर (मु0) सीकर